

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2014—श्रावण 16, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2014

क्र. एफ-2-01-2013-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि संशोधन के उक्त प्रारूप पर इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(2) संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो इसके पश्चात् ‘पात्रता परीक्षा’ के नाम से निर्दिष्ट है संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए विहित किए गए अनुसार संचालित की जाएगी. यह पात्रता परीक्षा सरकार द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी. पात्रता परीक्षा की वैधता परिणाम की घोषणा होने के पश्चात् दो वर्ष के लिए या अगली पात्रता परीक्षा आयोजित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी.”.

2. यह संशोधन इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2014

क्र. एफ-2-01-2013-बाईस-पं.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-01-2013-बाईस-पं.-2, दिनांक 7 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th August 2014

No. F-2-01-2013-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules, 2005, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above, will be considered by the State Government.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(2) ‘Samvida Shala shikshak Eligibility Examination’, hereinafter referred to as ‘Eligibility Examination’ as prescribed shall be conducted for the employment of Samvida Shala Shikshak. The eligibility examination shall be conducted by an agency prescribed by the Government. The validity for the eligibility examination shall be for two years after declaration of result or next eligibility examination to be held which will be earlier.”.

2. This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BRAJESH KUMAR, Addl. Secy.